न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण R 3-I/15

1. राजेश लुकमान पुत्र स्व0श्री स्वांमीप्रसाद लुकमान
2. दीपक लुकमान पुत्र स्व0श्री स्वामीप्रसाद लुकमान
3. चन्दन लुकमान पुत्र स्व0श्री स्वामीप्रसाद लुकमान
4. मनीष लुकमान पुत्र स्व0श्री स्वामीप्रसाद लुकमान

समस्त निवासीगण–लुकमान चौराहा तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0

--आवेदकगण

बनाम

1. महिला विद्यादेवी लुकमान पुत्री स्व0 श्री स्वामीप्रसाद लुकमान पत्नी श्री दीनानाथ लुकमान (झा) निवासी– 680 डोड़ाघाट, टालाबजुरा, ललितपुर, उ0प्र0--**मूल अनावेदिका**
2. राजेन्द्र लुकमान पुत्र स्व0 श्री स्वामीप्रसाद लुकमान निवासी– लुकमान चौराहा तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0
3. श्रीमती नर्मदा पत्नी श्री अमोलकचन्द झा निवासी– पुरानी, शिवपुरी रोड, गुरूद्वारे के पास, शिवपुरी, म0प्र0

4. राकेश लुकमान पुत्र श्री सियाराम लुकमान निवासी- लुकमान चौराहा तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0
5. श्रीमती गीता पत्नी स्व0 श्री जगदीश लुकमान निवासिनी- लुकमान चौराहा तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0
6. आशीष पुत्र स्व0 श्री लुकमान निवासी-लुकमान चौराहा तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0
7. रंजना पुत्री स्व0 श्री जगदीश लुकमान निवासिनी- लुकमान चौराहा तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0
8. धर्मेन्द्र कुमार झा पुत्र श्री दीनानाथ झा निवासी- ललितपुर, उ0प्र0

--- **फॉर्मल अनावेदकगण**

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 15/10/2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ म0प्र0 के प्रकरण कमाक 207/अपील/2012-13 व उनवान महिला विद्यादेवी बनाम श्रीमती गीता आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि के रिकॉर्डिड स्वामी आवेदकगण एवं अनावेदकगण कमांक 1 लगायत 7 के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3-एक/2015 जिला टीकमगढ़ राजेश विरूद्ध विद्यादेवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 207/अपील/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 15-10-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-01-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

05/02/19

3

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 05/2/19 सदस्य	